उ0प्र0 शासन

कृषि अनुभाग-1

संख्या-16/2015/1527/12-1-15-2554/2015

लखनऊ: दिनांक: 04 सितम्बर, 2015

<u>कार्यालय- आदेश</u>

पदोन्नति में आरक्षण एवं परिणामी ज्येष्ठता के सम्बन्ध में मा0 उच्चतम न्यायालय में योजित सिविल अपील संख्या- 2608/2011 उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 बनाम राजेश कुमार व अन्य में मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 27/4/2012 का कार्यकारी अंश निम्नवत है -

In the ultimate analysis, we conclude and hold that Section 3(7) of the 1994 Act and Rule 8A of the 2007 Rules are ultra vires as they run counter to the dictum in M. Nagaraj (supra). Any promotion that has been given on the dictum of Indra Sawhney (supra) and without the aid or assistance of Section 3(7) and Rule 8A shall remain undisturbed.

2- मा0 उच्चतम न्यायालय के उपर्युक्त निर्णय दिनांक 27/4/2012 के अनुपालन के क्रम में कार्मिक विभाग द्वारा जारी शासनादेश संख्या-4/1/2002टीसी-1-का-2/2012 दिनांक 28-4- 2012, संख्या-4/1/2002टीसी-1-का-2/2012 दिनांक 08-5-2012 एवं संख्या-4/1/2002टीसी-1-का-2/2012 दिनांक 13-5-2012 के क्रम में जारी शासनादेश संख्या-8/4/1/2002टीसी-1-का-2/2015 दिनांक 21 अगस्त, 2015 द्वारा पदोन्नति में आरक्षण तथा परिणामी ज्येष्ठता का लाभ प्राप्त कर दिनांक 28 अप्रैल, 2012 के पूर्व एवं दिनांक 15-11-97 के बाद पदोन्नत कार्मिकों के संबंध में निम्नानुसार कार्यवाही करने का निर्णय लिया गया है -

(क) उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य पिछडे वर्गो के लिए आरक्षण) अधिनियम-1994 की धारा-3(7) के प्रावधान के अनुसार पदोन्नति में आरक्षण का लाभ देते हुए दिनांक 15-11-1997 के पश्चात् पदोन्नत कार्मिकों तथा उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक ज्येष्ठता नियमावली-1991 (यथासंशोधित) के नियम-8(क) का लाभ देकर जिन कार्मिकों की पदोन्नति की गई है, उन्हे पदावनत कर दिया जाए। वर्तमान संशोधित वरिष्ठता सूची जो कार्मिक अनुभाग-2 के शासनादेश दिनांक 08-05-2012 एवं 13-05-2012 के क्रम में जारी की गयी है, के अनुसार दिनांक 15-11-1997 के पश्चात् पदोन्नति में आरक्षण तथा नियम-8(क) का लाभ प्राप्त कर पदोन्नत कार्मिकों से कनिष्ठ कर्मी जिस स्तर पर कार्यरत हो, उस स्तर तक उन्हें पदावनत किया जाये।

(ख) पदावनत किये जाने पर, आरक्षित श्रेणी के कार्मिक को पदावनत पद का ही वेतनमान अनुमन्य होगा। उक्त वर्णित संशोधित वरिष्ठता सूची के अनुसार पदावनत किये गये आरक्षित श्रेणी के कार्मिक से आसन्न वरिष्ठ कर्मी को अनुमन्य मूल वेतन के बराबर

http://shasanadesh.up.nic.in

पदावनत कर्मी का मूल वेतन निर्धारित किया जायेगा। पदावनति के ठीक पूर्व के माह में पदावनत कर्मी को प्राप्त हो रहीं परिलब्धियॉं (मूल वेतन, मंहगाई भत्ता तथा अन्य भत्ते आदि) में पदावनति के उपरान्त कोई वित्तीय हानि न हो, इसके लिए पदावनत किये गये कार्मिक की पदावनित के उपरान्त निर्धारित मूल वेतन के आधार पर प्राप्त होने वाली कुल परिलब्धियॉं तथा पदावनति के ठीक पूर्व के माह में प्राप्त होने वाली कुल परिलब्धियों में जो अन्तर होगा, वह वैयक्तिक वेतन के रूप में पदावनत कार्मिक को अनुमन्य होगा। वैयक्तिक वेतन आगे के वर्षो में उस सीमा तक कम होता जायेगा जिस सीमा तक पदावनत कर्मी के मूल वेतन में वार्षिक वेतन वृद्धि के कारण मूल वेतन तथा वार्षिक वेतन वृद्धि तथा अन्य भत्तों सहित आधारित सकल वेतन में वृद्धि हो रही है। पदावनत कर्मी की पदावनति के ठीक पहले के माह में प्राप्त कुल मासिक परिलब्धियां तब तक फ्रीज रहेंगी जब तक कि पदावनत कर्मी से आसन्न वरिष्ठ कर्मी की परिलब्धियॉं इसके बराकर या इसके अधिक न हो जायें।

(ग) आरक्षण का लाभ प्राप्त कर पदोन्नत कार्मिक, पदावनति के पश्चात् पदावनत पद के अनुरूप ही समस्त सुविधायें प्राप्त करेंगे।

(घ) पदावनत कर्मी को प्राप्त हो रही परिलब्धियों (जिसमें वैयक्तिक वेतन शामिल होगा) के आधार पर वरिष्ठता क्रम का कोई लाभ प्राप्त नहीं होगा।

(च) अनारक्षित वर्ग (जिन्हें पदोन्नति में आरक्षण की सुविधा अनुमन्य नहीं थी) के पदधारकों द्वारा इस आधार पर अतिरिक्त परिलब्धियों अथवा वैयक्तिक वेतन की मांग नहीं की जायेगी कि वे पदावनत कर्मी से संशोधित वरिष्ठता सूची के अनुसार वरिष्ठ हैं।

3. कार्मिक विभाग के शासनादेश संख्या-8/4/1/2002टी0सी0-1-का-2/2015 दिनांक 21.08.2015 के प्रावधानों के अनुसार कृषि निदेशक, उ0प्र0 के पत्र संख्या-ए0ए0-213जी/ए-9 दिनांक 30.08.2015 द्वारा उ0प्र0 कृषि सेवा श्रेणी-2 की वर्तमान संशोधित वरिष्ठता सूची के अनुसार दिनांक 15.11.97 के पश्चात पदोन्नति में आरक्षण तथा नियम-8(क) का लाभ प्राप्त कर पदोन्नत कार्मिकों के सम्बन्ध में कार्मिक विभाग के उक्त शासनादेश दिनांक 21.08.15 में वर्णित निर्देशों के क्रम में पदावनत किये जाने का प्रस्ताव उपलब्ध कराया गया है।

4. कार्मिक विभाग के उपर्युक्त शासनादेश संख्या-8/4/1/2002 टी0सी0-1-का-2/2015 दिनांक 21.08.2015 के अनुपालन में कृषि निदेशक द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव पर सम्यक विचारोपरान्त मा0 उच्चतम न्यायालय के निर्णय दिनांक 27.04.2012 के अनुपालन में पदोन्नति में आरक्षण तथा परिणामी ज्येष्ठता का लाभ प्राप्त कर दिनांक 28 अप्रैल, 2012 के पूर्व तथा दिनांक 15.11.1997 के बाद प्रोन्नत उ0प्र0 कृषि सेवा श्रेणी-2 के निम्न कार्मिकों को, कार्मिक विभाग के उक्त शासनादेश दिनांक 21-8-2015 में दी गयी व्यवस्थानुसार अपेक्षित पदावनति की कार्यवाही किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है, जिसके फलस्वरूप पदावनत कार्मिकों की संशोधित प्रास्थिति/पदावनत पदनाम निम्नवत् होगें-

http://shasanadesh.up.nic.in

क्र0 सं0	अधिकारी का नाम/पदनाम आदि का विवरण (सर्वश्री)	वर्तमान पदनाम एवं उस पद पर पदोन्नति की तिथि	शासनादेश दिनांक 21-8-2015 में अपेक्षित पदावनति की कार्यवाही के उपरान्त संशोधित प्रास्थिति/पदावनत पद का नाम
1	2	3	4
अभियन्त्रण शाखा			
1-	शिव चरन अहिरवार, भू0सं0अ0(रा0जला0), चिरगांव, झांसी	कृषि सेवा श्रेणी-2 दिनांक 13-12-2006	कृषि सेवा श्रेणी-2 के पद पर स्थानापन्न दिनांक 08-07-2012 से
2-	रूप चन्द्र, भू0सं0अ0, टूण्डला, आगरा	कृषि सेवा श्रेणी-2 दिनांक 13-12-2006	कृषि सेवा श्रेणी-2 के पद पर स्थानापन्न दिनांक 08-07-2012 से
3-	सूबे सिंह, सहा0 प्राध्यापक, रा0कृ0वि0, बुलन्दशहर	कृषि सेवा श्रेणी-2 दिनांक 13-12-2006	कृषि सेवा श्रेणी-2 के पद पर स्थानापन्न दिनांक 08-07-2012 से
4-	हीरा लाल, भू0सं0अ0, औरैया	कृषि सेवा श्रेणी-2 दिनांक 18-08-2008	कृषि सेवा श्रेणी-2 के पद पर स्थानापन्न दिनांक 08-07-2012 से
रसायन शाखा			
5-	श्याम सुन्दर, कृषि रक्षा अधिकारी, लखीमपुर खीरी	कृषि सेवा श्रेणी-2 दिनांक 29-03-2010	कृषि सेवा श्रेणी-2 दिनांक 20-05-2015 से

5- शासनादेश दिनांक 21-08-2015 के अनुक्रम में पदावनत कर्मियों को पदावनत पद पर कोई अतिरिक्त कार्यभार किसी भी दशा में नहीं दिया जायेगा।

6- उपरोक्त प्रस्तर-4 की सारणी में अंकित पदावनत कार्मिकों को सारणी के स्तम्भ-4 में वर्णित पदावनत पद/प्रास्थिति की तिथि से वेतन निर्धारण आदि की कार्यवाही प्रस्तर-2 में वर्णित व्यवस्थानुसार की जायेगी।

अमित मोहन प्रसाद
प्रमुख सचिव

http://shasanadesh.up.nic.in

संख्या-16/2015/1527/12-1-15-2554/15 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. महालेखाकार, इलाहाबाद, उ0प्र0 ।
2. प्रमुख सचिव कार्मिक विभाग, उ0प्र0 शासन।
3. संबंधित मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी द्वारा कृषि निदेशक।
4. कृषि निदेशक, उ0प्र0 लखनऊ।
5. निदेशक, राज्य कृषि प्रबन्ध संस्थान, रहमानखेडा, लखनऊ।
6. संबंधित संयुक्त कृषि निदेशक द्वारा कृषि निदेशक ।
7. सचिव, लोक सेवा आयोग, उ0प्र0 इलाहाबाद।
8. संबंधित अधिकारीगण द्वारा कृषि निदेशक।
9. निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उ0प्र0, इलाहाबाद को राजकीय गजट के आगामी अंक में प्रकाशनार्थ।
10. वित्त नियंत्रक, कृषि भवन, लखनऊ।
11. सम्बन्धित कोषाधिकारी द्वारा कृषि निदेशक, उ0प्र0, लखनऊ।
12. गार्ड फाइल/चरित्र पंजिका।

आज्ञा से,

ए0पी0 त्रिपाठी
उप सचिव

http://shasanadesh.up.nic.in